संख्या-303/2026/I/1410314/2026/003/23-6099/36/2024

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 27 जुलाई, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत गोरखपुर क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 18 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो0नि0वि0, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत गोरखपुर क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 18 सेतुओं के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू0 868.06 लाख (रूपये आठ करोड़ अड़सठ लाख छः हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सेतु विंग) का पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	आवंटन धनराशि		
								अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	23611/CE-SEB/RYB/GKP/2026-27 Dt- 08-07-2026	नि.ख. महराजगंज	जनपद महराजगंज में रामगढ़वा गांव के भरगाई टोला में झरही नाला पर लघु सेतु (5x5x5 मी० बाक्स कल्वर्ट) पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	336/2025/आई/1140539/2025/23-6099/182/2025-दिनांक-12-11-2025	159.18 157.96 4.66 153.30	36.19	117.11	55.15	14.85	70.00
2	तदैव	प्रा.ख. महराजगंज	जनपद महराजगंज में मौन नाले के बगहवां बाबा स्थान पर 4 गुणे 5 मी0 स्पान के लघु सेतु, पहुॅच मार्ग, अतिरिक्त पहुॅच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य	204/2022/1482/001-1482-23-10-22-07-सेतु-2022टीसी-दिनांक-27-12-2022	399.64 399.64 7.30 392.34	344.65	47.69	37.57	10.12	47.69
3	23626/CE-SEB/RYB/GKP/2026-27 Dt- 09-07-2026	नि.ख. महराजगंज	जनपद महराजगंज में परासखाड से लेजार महदेवा मार्ग पर स्थित सकरा एवं क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर 3X5X5 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य।	119/2026/आई/1275395/2026/23-6099/90/2026-दिनांक-21-03-2026	94.82 92.34 0.00 92.34	1.36	90.98	23.64	6.36	30.00
4	तदैव	प्रा.ख. महराजगंज	जनपद महराजगंज में परतावल पुरैना मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी0-5 में क्षतिग्रस्त एवं सकरे पुल के स्थान पर 2 गुणे6 मी0 स्पान के लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	336/2025/आई/1140539/2025/23-6099/182/2025-दिनांक-12-11-2025	187.66 181.96 28.34 153.62	52.50	101.12	31.52	8.48	40.00
5	तदैव	प्रा.ख. महराजगंज	जनपद महराजगंज में सोहगी बरवां बभनवां टोला मार्ग के किमी 0-1 में 3 x 5 मी बाक्स कलवर्ट (लघु सेतु) एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	356/2025/आई/1150276/2025/23-6099/197/2025-दिनांक-21-11-2025	113.31 111.24 14.14 97.10	1.50	95.60	31.52	8.48	40.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

6	तदैव	प्रा.ख. महराजगंज	जनपद महराजगंज में सोहगी बरवां सम्पर्क मार्ग के किमी०-1 में 2 x 3 मी० बाक्स कलवर्ट (लघु सेतु) एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	356/2025/आई/1150276/2025/23-6099/197/2025-दिनांक- 21-11-2025	56.26 55.15 8.67 46.48	1.00	45.48	19.7	5.3	25.00
7	तदैव	प्रा.ख. महराजगंज	जनपद महराजगंज में चौपरिया बॉसपार मार्ग में 2x3 मी स्पान का लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	319/2025/आई/1130369/2025/23-6099/185/2025 दि0-31.10.2025 एवं शुद्धि पत्र सं0-11/2026/आई/1203043/2026/23-6099/185/2025 दि0-12.01.2026-दिनांक-31-10-2025	66.30 66.30 8.88 57.42	2.15	55.27	19.70	5.30	25.00
8	तदैव	प्रा.ख. महराजगंज	जनपद महराजगंज में चटिया से करजहा मार्ग के किमी0-1 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3×2 मी0 स्पान का लघु सेतु पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	119/2026/आई/1275395/2026/23-6099/90/2026-दिनांक-21-03-2026	49.36 46.38 5.06 41.32	0.65	40.67	11.82	3.18	15.00
9	तदैव	प्रा.ख. महराजगंज	जनपद महराजगंज में सी0एस0एन0टी0एन0 मार्ग के किमी0 6 में 2×6×3 मी0 स्पान का लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण का कार्य।	119/2026/आई/1275395/2026/23-6099/90/2026-दिनांक-21-03-2026	174.60 169.17 12.61 156.56	2.47	154.09	39.4	10.60	50.00
10	23675/CE-SEB/RYB/GKP/2026-27 Dt- 10-07-2026	प्रा.ख. कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में जोकवां बंजरिया मार्ग से नदवा विशुनपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0-3 में सकरें एवं क्षतिग्रस्त कल्वर्ट के स्थान पर 3x4.5x5 मी0 स्पान का लघु सेतु का निर्माण कार्य।	119/2026/आई/1275395/2026/23-6099/90/2026-दिनांक-21-03-2026	116.41 115.61 6.08 109.53	1.00	108.53	63.03	16.97	80.00
11	23761/CE-SEB/RYB/GKP/2026-27 Dt- 16-07-2026	प्रा.ख. गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में दुधरा से बौरडीह (मोहनापुर) के बीच कुआनो नदी पर पान्टून सेतु के निर्माण कार्य।	299/2025/आई/1126438/2025/23-6099/170/2025-दिनांक-29-10-2025	93.43 93.43 0.80 92.63	46.72	45.91	28.88	7.77	36.65
12	तदैव	प्रा.ख. गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में तहसील बांसगांव के अन्तर्गत आमी नदी के नम्बर 4 पर पान्टून सेतु के निर्माण कार्य।	299/2025/आई/1126438/2025/23-6099/170/2025-दिनांक-29-10-2025 SI-8	59.21 59.21 6.67 52.54	0.74	51.80	33.88	9.12	43.00
13	तदैव	प्रा.ख. गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में रामजानकी मार्ग के कि0मी0 144 से लखनौरी लखनौरा होते हुए मोहन पोहरिया सम्पर्क मार्ग पर 1x6x5 मी० स्पान का आर० सी० सी० पुलिया, पहुंच मार्ग का निर्माण एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य।	330/2025/आई/11377131/2025/23-6099/193/2025-दिनांक-10-11-2025	79.42 79.42 11.80 67.62	6.07	61.55	40.97	11.03	52.00
14	तदैव	नि.ख. कुशीनगर	जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत सालिकपुर के पास रोहुआ नाले पर पान्टून सेतु के निर्माण कार्य।	301/2025/आई/1127626/2025/23-6099(099)/272/2025-दिनांक-30-10-2025	34.36 34.36 0.73 33.63	17.18	16.45	12.96	3.49	16.45

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

15	तदैव	प्रा.ख. कुशीनगर	जपद कुशीनगर में विधान सभा कुशीनगर में रजवावर (मुसहर टोला) एवं मल्लूडीह के बीच बाड़ी नाले पर 3x8 मी. स्पान का लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य।	49/2023/1593/23-10-23-09(सेतु)/22-दिनांक- 07-02-2023	381.63 381.63 16.98 364.65	346.56	18.09	14.25	3.84	18.09
16	तदैव	प्रा.ख. कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में बी०एम०सी०टी० से पचरुखिया मार्ग के किमी०-3 पर क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3x18.75 मीटर स्पान के लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	373/2025/आई/1167842/2025/23-6099/212/2025-दिनांक-08-12-2025	372.42 372.42 24.54 347.88	74.48	273.40	35.46	9.54	45.00
17	तदैव	प्रा.ख. कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में गोड़रिया मुड़ाडीह मार्ग के किमी0-1 में मुख्य पश्चिमी गंडक नहर पर संकरे लघु सेतु के स्थान पर 3 x 12 मीटर स्पान के लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	319/2025/आई/1130369/2025/23-6099/185/2025 दि0-31.10.2025	426.24 426.24 17.80 408.44	6.66	401.78	26.93	7.25	34.18
18	तदैव	प्रा.ख. कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में शिवपुर कुबेरस्थान मार्ग के किमी0-6 (200) पर 8x4 मी0 गुने 4 स्पान के लघु सेतु के नव निर्माण का कार्य।	119/2026/आई/1275395/2026/23-6099/90/2026-दिनांक-21-03-2026	362.06 346.43 21.12 325.31	1.00	324.31	157.58	42.42	200.00
कुल योग								683.96	184.10	868.06

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। वर्तमान आबंटन के आधार पर लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 6,83,96,000 (रुपये छह करोड़ तिरासी लाख छियानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,84,10,000 (रुपये एक करोड़ चौरासी लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयेाग अनुभाग-1/2 ।
(10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग ।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in